फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

त्रिवेणी शर्मा बनाम लेखराज वगै0

दमा संख्या : 342/2024

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	01.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगणों को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 5 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 06.05.2025 को पेश हों।	
	05.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 0.4400है0 ग्राम लालवास तहसील आंधी में स्थित है। जिसमे आने जाने हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी भूमि मे खसरा नम्बर 60 व 667/24 में से आता जाता है। अतः अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 60 व 667/24 में से 16 फिट रास्ता संलग्न नज़री नक्शे अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित करने के आदेश प्रदान करें। अतः वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम लालवास, तहसील आंधी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा 1.18है0 किस्म चरागाह व खसरा नम्बर 667/64 रकबा 0.20है0 किस्म बारानी 3 जो राजकीय भूमि है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 27 में आने जाने हेतु रास्ता चाहता है। चुकि भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा 1.18है0 की किस्म चरागाह है। जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। जिसमें से रास्ता दिया जाना उचित नही है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में रास्ते अन्य ओर कोई वैकल्पिक प्रस्तावित रास्ता नही दर्शाया है। अतः ऐसी स्थिति में चाहे रास्ते की भूमि की किस्म चरागाह होने से रास्ता नही दिया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।	